POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A-2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

संविधानवाद

संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ है - शासन संविधान में लिखित नियमों एवं विधियों के अनुसार संचालित होगा।

संविधानवाद संविधान के निर्णयों के अनुरूप शासन संचालन से अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। कोरी एवं अब्राहम के अनुसार "स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है।" अतः संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में संविधानवाद नहीं होता जहां अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को प्रायः बनाया और बिगाड़ा जाता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान के माध्यम से शासकों को प्रतिबंधित और सीमित रखा जाता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें।

Scanned with CamScanner